न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ
पीठसीन अधिकारीः– पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण संख्या 68/2019 वाद

राजेश माली व अन्य

//बनाम//

पूरणमल माली व अन्य

<u>वाद धारा 53,88,188,209 रा0का0अधि0</u>

निर्णय दिनांक 07.11.2019

वादीगण के वाद विड्रा बाबत प्रार्थना पत्र पर पत्रावली सीगे से तलब की गई। वादीगण मय अधिवक्ता उपस्थित होकर एक आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर गांव के मौतबीर पंचो की समझाईश से आपस में राजीनामा करा दिया है और उक्त आराजीयात प्रतिवादी नं0 9 लक्ष्मीबाई पत्नी मांगीलाल माली निवासी निम्बाहेडा के खातेदारी व कब्जे की है व रहेगी उक्त आराजीयात में हम वादीगण का कोई हक हिस्सा व कब्जा किसी हैसियत से नहीं है। प्रतिवादी नं0 9 उक्त आराजीयात का बंटवारा करके किसी अन्य को हस्तांतरण रहन बय बक्शीश के माध्यम से खुर्द बुर्द हस्तांतरित करे भूमि को रूपांतरित करावें या अन्य प्रकरण से उपयोग उपभोग करें। इस बाबत हम वादीगण या हमारे वारेसान किसी प्रकार का उज्र एतराज करने के अधिकारी नही होंगे। प्रतिवादी नं0 8 गोपाल एवं प्रतिवादी नं0 9 लक्ष्मी मय अधिवक्ता उपस्थित। वादीगण राजीनामें अनुसार उक्त वाद को इसी स्टेज पर खारिज कराना चाहते है। अतः वादीगण का वाद विड्रा बाबत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद इसी स्टेज पर विड्रा कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेड़ा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Sharma
Date: 2020.03.14 15:25:33 IST
Reason: SelfAttested